The distribution costs on wheat and rice are given below:—

(Rs. per qutnial)

Year	Distribution Cost	
	Wheat	Rice
1992-93 . .	120.02	120.02
1993-94 . .	120.97	120.97
1994-95 . .	122.03	122.3 (R.E.)

Sick sugar mills in the country

903. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the number of sick sugar mills, out of the total, at present in the country;

(b) their locations;

(c) whether Government have taken any decision in regard to these sick sugar mills; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) Under the provisions of the Sick Industrial Companies (Special provisions) Act, 1985, companies registered under the Companies Act, 1956 which become sick have to be referred to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). These provisions have been extended to cover Government companies also. BIFR has intimated that as on 28.2.95 there were 13 cases of sick sugar companies registered with them. A statement showing the State-wise list of such sick sugar companies, as furnished by BIFR, is at Statement. (*See* below).

(c) and (d) Sugar mills have to themselves prepare schemes for rehabilitation/modernisation and get them approved by BIFR/participating agencies. Financial assistance is also available from the Sugar Development Fund (SDF) at concessional rates of interest for such rehabilitation/modernisation schemes, subject to their fulfilling the conditions laid down.

Statement

State-wise list of sick sugar companies Registered with BIFR as on 28-2-1995

State/company

Andhra Pradesh

Challapalli Sugar

Bihar

Champaran Sugar

Karnataka

Davnagare Sugar Company

Salarjung Sugar

Gangawati Sugar

Madhya Pradesh

Jiwaji Rao Sugar

Punjab

Bhagwanpura Sugar Mills

Rajasthan

Mewar Sugar

Utter Pradesh

Lakshmi Sugar Mills

* Cawnpore Sugar Works Ltd.

* Shervani Sugar Syndicate Ltd.

* Swadeshi Mining & Mfh. Co. Ltd.

West Bengal

Ramnuger Cane (Khitan Agro Complex)

*Under Enquiry by B.I.F.R.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं चीनी और चावल की खुली बिक्री

904. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को गेहूं, चीनी और चावल

की खुली बिक्री कुछ और महीनों तक जारी रखने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में खुले बाजार में गेहूं और चीनी की किस दर पर बिक्री की जायेगी ;

(घ) क्या सुपर बाजार, नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारी समितियों, बेकरी, हलवाई तथा अन्य खाद्यान्न लाइसेंस धारक इत्यादि भी इस बढ़ाई गई अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत गेहूं खरीदने के लिये ग्राह्य होंगे ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या घरेलू और आयातित गेहूं की बिक्री तथा खरीद के लिये प्रतिबंधित अनुपात बनाये रखा जायेगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) भारत सरकार ने खुली बिक्री योजना के अधीन खुले बाजार में अप्रैल, 1995 तक गेहूं की बिक्री करने और सितम्बर,1995 तक चावल की बिक्री करने के लिये भारतीय खाद्य निगम को अनुमति दी है लेकिन खुली बिक्री योजना के अधीन खुले बाजार में चीनी की कोई बिक्री करने की अनुमति नहीं दी गई है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की खुली बिक्री करने की अनुमति निम्नलिखित कारणों/उद्देश्यों के लिये दी गई थी:—

(1) उन स्थानों पर अधिक स्टाक की स्थिति को सुगम बनाना जहां स्टाक का स्तर, बफर-मानदंडों से कहीं अधिक है ।

(2) गेहूं/चावल के लिये वर्तमान वसूली मौसम के लिये अधिक भंडारण स्थान खाली करने के लिये ।

(3) भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गये स्टाक को रखने की लागत कम करने के लिये ।

(4) कमी के मौसम में गेहूं और चावल के खुले बाजार के मूल्यों पर संतुलित प्रभाव डालने के लिये बाजार हस्तक्षेप के एक उपाय के रूप में इस्तेमाल करने के लिये ।

(5) खाद्य राजसहायता की आवश्यकता को कुछ हद तक कम करने के लिये ।

(ग) संलग्न विवरण में खुले बाजार में बिक्री की योजना के अधीन मार्च, 1995 के लिये गेहूं के राज्यवार मूल्यों का ब्यौरा दिया गया है । (**नीचे दे खिये**)

(घ) और (ङ) जी, हां । नगरपालिका कस्बों और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों, जहां रेलवे साइडिंग की सुविधायें हैं, के लिये गेहूं की न्यूनतम यूनिट बिक्री 5 मीटरी टन है और राजस्व/उप-मंडलीय मुख्यालय में एक मीटरी टन है ।

(च) और (छ) उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन बिक्री के लिये निर्धारित स्वदेशी और आयातित अनुपात 80: 20 अर्थात 80% स्वदेशी गेहूं और 20% आयातित गेहूं है ।

विवरण

मार्च 1995 में खुले बाजार में गेहूं के मूल्य

(मूल्य रुपये प्रति मीटरी टन)

राज्य का नाम	गेहूं
पंजाब	4100
हरियाणा	4100
उत्तर प्रदेश	4100
दिल्ली	4150
राजस्थान	4150
जम्मू और कश्मीर	4150
हिमाचल प्रदेश	4150
महाराष्ट्र	4500
गुजरात	4350
मध्य प्रदेश	4100
बिहार	4300
पश्चिम बंगाल	4350
उड़ीसा	4350
तमिलनाडु	4600
आंध्र प्रदेश	4550
कर्नाटक	4600
केरल	4600

गेहूं चावल और चीनी के समर्थन और निर्गम मूल्यों में वृद्धि किया जाना

905. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990 से 1994 तक गेहूं, चावल और चीनी के प्रति क्विंटल समर्थन मूल्यों में प्रतिवर्ष वृद्धि की जाती रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन वस्तुओं के निर्गम मूल्यों में भी वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) सरकार द्वारा इन मदों पर दी जाने वाली राज सहायता में वृद्धि किये जाने के बावजूद इनके निर्गम मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या यह वृद्धि आनुपातिक रूप से की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य निम्नानुसार हैं:—

रुपये प्रति क्विंटल

विपणन वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य
1990–91	215
1991–92	225
1992–93	275*
1993–94	330*
1994–95	350

*इसमें 25/– रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी शामिल है ।

लेवी चावल के वसूली मूल्यों को बताने वाले विवरण अनुपत्र में संलग्न हैं । [देखिये परिशिष्ट सं०–173 अनुपत्र 19]

जहां तक चीनी का संबंध है, सरकार चीनी के लिये कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं करती है ।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण अनुपत्र में संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट सं० 173, अनुपत्र सं० 19] ।